न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/324/2018

उनवान

1. नारायण लाल पिता मांगू बैरवा निवासी भैरूखेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र हेमराज गुर्जर निवासी भगवानपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 375/2018 निर्णय दिनांक 29.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री निर्मला जैन , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 19.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की आराजी ग्राम आगूंचा पटवार हल्का आगूँचा तहसील हुरडा की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 की खाता संख्या 1334 , 3914/3 रकबा 5 बीघा स्थित है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर आने जाने के लिए विपक्षी संख्या 1

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

की ग्राम आगूँचा स्थित खाता संख्या 487 की आराजी नम्बर 3915 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहा है। जो राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में दर्ज नहीं है। अतः राजस्व रेकार्ड में नजरी नक्शे में दर्शाये गये रास्ते को राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में दर्ज कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 की अनुपस्थिति में अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की यथासमय जानकारी नहीं हो पाई थी। चूंकि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में निर्णित किया गया था। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.8.2018 को हुई। जिस पर उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवंत थ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की

(कैलास चन्द्र लखा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपली प्राधिकारी,

पालना में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के तहत प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

8. हमनें प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 6.6.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के साथ ही आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.6.2018 नियत की गई। दिनांक 11.6.2018 को अप्रार्थी की ओर से श्रीमती निर्मला जैन अधिवक्ता ने अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की । मिसल वास्ते जवाब व अधिकार पत्र पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.6.2018 नियत की गई। दिनांक 29.6.2018 को अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अधिकार पत्र व सूची दस्तोवज पेश किये व जवाब हेतु अवसर चाहा गया । आदेशिका में अप्रार्थी को न तो अवसर दिये जाने का कोई अंकन किया गया है एवं न ही अप्रार्थी की जवाब देही बन्द की गई है। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने से उसी दिन दिनांक 29.6.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण में समरी इन्क्वायरी के तहत मौका रिपोर्ट तलब की जानी चाहिये थी। उक्त पर्चा मौका RT

(कैलाश चन्द्र लेखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Govt.Rule(Amended) 2012 के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार कर प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी/अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है एवं न ही उनका जवाब समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त जवाब बंद ही किया गया है। अपीलाधीन प्रकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

9. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी/अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विहित प्रकिया का पालन कर अज सिरे नो निर्णय पारित करे।

10. निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाडा